न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/ 14(4)/01/2018

1–राजेन्द्र । पिसरान श्री मक्खन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्रांम बंजी
2–हुकमसिंह ।
3–मोती ।पिसरान श्री भगवत जाति ब्राहम्ण तहसील व जिला भरंतपुर
4–बलवीर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1– सुगन पुत्र कैलाशी ।
2– राजेश पुत्र जवाहरसिंह
3– मोहन देई बेबा जवाहरसिह
4– राजन देई पुत्री जवाहरसिह
5– रेखा पुत्री जवाहरसिंह
6– चन्दू पुत्र मोहनसिह (मृतक)
6/1–चन्दा वेवा चन्दू
6/2–सुजान पुत्र चन्दु
6/3–जगन पुत्र चन्दू
6/4–कुवरसैन पुत्र चन्दू
6/5–विज्जो पुत्री चन्दू

जाति जाटव निवासी निवासी ग्रांम बंजी तहसील व जिला भरतपुर

7– अध्यक्ष आंवटन सलाहाकार समिति जरिये पैरोकार सरकार

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 विरुद्ध आंबटन सलाहकार समिति भरतपुर आदेश दिनांक 26.11.1976

अपील संख्या 16/2023

1–राजेन्द्र । पिसरान श्री मक्खन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्रांम बंजी
2–हुकमसिंह ।
3–मोती ।पिसरान श्री भगवत जाति ब्राहम्ण तहसील व जिला भरंतपुर
4–बलवीर ।

.....अपीलान्ट

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 14(4) / 01 / 2018
अपील संख्या 16 / 2023

बनाम

1–राजेश पुत्र जवाहर सिंह
2–मोहन देई पत्नी जवाहरसिंह
3–राजन देई पुत्री जवाहरसिह
4–रेखा पुत्री जवाहरसिंह

} जाति जाटव निवासी ग्रांम बंजी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 20.4.2023 तहसीलदार भरतपुर प्रकरण संख्या 1 / 2018 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट।

———

उपस्थितः–
1– श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री पुष्पेन्द्र चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 5.07.2024

प्राथीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 के विरुद्ध अप्रार्थी0 वखिलाफ आंबटन सलाहकार समिति भरतपुर आदेश दिनांक 26.11.1976 पेश किया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 566 / 14.7 हाल खसरा नम्बर 649 / 699 / 1–11 ग्रांम बंजी तहसील भरतपुर बनाया गया है यह गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जिसमें होकर ग्रांम वासीयान खेतों को आते जाते हैं। उक्त आराजी से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 645व 646 व अन्य आराजी रास्ते से लगी हुई है जिन पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त साविक खसरा नम्बर 566 / 14–7 ग्राम वंजी जो कि गैर मुमकिन रास्ता है को गैर कानूनी रुप से दिनांक 26–11–1976 को राजस्व कैम्प एक्टा में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा कैलाशी पुत्र झगुला गवले पुत्र सुन्दर, मांगी लाल पुत्र गिलमोली व चन्दू पुत्र मोहनलाल को आबंटन कर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिया है। आबंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है। एस.डी.ओ.साहब को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उक्त आंबटन आदेश दिनांक 26.11.1976 को निरस्त कराने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 द्वारा पेश किया गया है।

प्रार्थी0 ने एक अपील विरुद्ध रेस्पो व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर तारीखी 20.4.2023 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने प्रार्थना पत्र 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण उनवानी राजेश वगे0 बनाम राजेन्द्र वगे0 में कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 649 / 699 रकवा 1.1100 है0 ग्रांम बंजी से प्रार्थीगण (अनुसुचित जाति) की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण (राजेन्द्र वगे0) द्वारा विधि विरुद्ध किये अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटवाकर बेदखल कर प्रार्थीगण (राजेश वगे0) को मौके पर कब्जा दिलाया जाने की आज्ञा पारित की है। तहसीलदार भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट राजेन्द्र वगे0 ने यह अपील पेश की है।

दोनों प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई।

उक्त दोनों प्रकरण में एक ही पक्षकारान है तथा विववादित आराजी भी एक ही होने से दोनों प्रकरण में एक ही बहस सुनी जाकर एक ही आदेश से दोनों प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थी राजेश की ओर लिखित बहस पेश की गई। शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि साविक खसरा नम्बर 566 / 14–7 ग्राम वंजी जो कि गैर मुमकिन रास्ता है को गैर कानूनी रुप से दिनांक 26–11–1976 को राजस्व कैम्प एक्टा में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा कैलाशी पुत्र झगुला गवले पुत्र सुन्दर, मांगी लाल पुत्र गिलमोली व चन्दू पुत्र मोहनलाल को आबंटन किया गया है जो नियमों के खिलाफ है। विवादित

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आराजी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है एस.डी.ओ. को भूमि की किस्म परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है और नाहीं गैर मुमकिन रास्ता को आंबटन किया जा सकता है। अप्रार्थी0 जब विवादित आराजी पर कब्जा कर मकान वगे. बनाने लगे तब जानकारी करने पर अप्रार्थी0 ने अपने हक में पट्टा होना बताया, तब पट्टा की नकल दिनांक 3.8.2018 को लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है, और ना हीं अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर काश्त की है। कैलाशी पुत्र झगुला फौत हो चुका है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा.5 वारिस है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी के चिपटवॉ प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 645 / 0.80, 646 / 0.30 लगे हुये तथा अन्य खातेदारान के आराजी भी है, जिन पर जाने आने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि आबंटन भूमि पर दो वर्ष के भीतर काश्त करने पर आबन्टन वैध माना जाता है, अप्रार्थी0 ने आंबटित आराजी पर आज तक काश्त नहीं की है। अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की तारीफ में नहीं आता है ना ही आंबटन योग्य है। विवादित आबंटन अवैध व शून्य है अतः उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट / प्रार्थी0 का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2023 अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता के रुप में है तथा इस आराजी में अपीलान्टान के पूर्वजों के थान भी बने हुये है तथा रेस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही रेस्पो0 के पिता व पति जवाहरसिंह का कभी कब्जा रहा ना ही कैलाशी का कभी कब्जा रहा तो उनके बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तहत न्यायालय ने रेस्पो0 के बयान आदि का बिना अवलोकन किये जैरे अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित किया है जो खारिज योग्य है। हाल जमांबदी में दर्ज इन्द्राज रेस्पो0 को देखकर तथा उनकी अनुसुचित जाति होने के कारण होने के कारण ही मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 203, आरआरडी 1955 पेज 624, आरआरडी 1992 पेज 496, आरबीजे 2001 पेज 470, उद्धरत किये तथा प्रार्थी / अपीलान्ट ने अपील

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.2023 निरस्त किये जाने एवं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पो0 / अप्रार्थी राजेश की ओर से लिखित बहस पेश की गई है। जो संक्षेप में इस प्रकार है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 विरुद्ध आबंटन आदेश दिनांक 26.11.1976 उपखड अधिकारी भरतपुर के खिलाफ विधि विरुद्ध पेश किया गया है। अपीलान्ट ने अनुसूचित जाति के रेस्पो0 की आराजी पर विधि विरुद्ध जबरदस्ती कब्जा अतिक्रमण किया है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित आराजी का आंबटन रेस्पो0 राजेश के पूर्वज कैलाशी को ग्रांम बंजी कैंप एक्टा तहसील भरतपुर मे किया गया था। बाद में जरिये दाखिल खारिज नंबर 174 दिनांक 4.8.2004 को विरासत विवादित आराजी रेस्पो राजेश को प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.4.2023 में की है। विवादित आराजी खसरा नंबर 649 / 699 रकवा 1.1100 है0 पर अन्य खातेदरान के साथ रेस्पोडेन्ट भी खातेदार है तथा विवादित आराजी विरासतन रेस्पो को प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने विवादित आराजी मे रास्ता गैर मुमकिन रास्ता या सड़क होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। मोके पर कोई रास्ता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपने जबाब दावे की मद संख्या 4 में विवादित आरजी पर अपना कब्जा होना स्वीकारते हैं इसलिए अपीलान्ट का यह कृत्य अतिचारी की श्रेणी में आता है। बिना किसी सक्षम आदेश के किसी व्यक्ति कि खातेदारी में थान बना लेना ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिसकी पुष्टी तहत न्यायालय ने अपने आदेश में की है और जब कि दिनांक 6.6.2023 को गिरदावर एवं पटवारी विवादित मौके पर नाजायज अतिक्रमय को हटवाने के लिये गये और रेस्पो को कब्जा दिलाने के लिए गए तो अपीलान्ट एवं उसके साथ हुकमसिंह वगे ने काम नहीं करने दिया गाली गलोंच की जिसकी एफआईआर 329 / 2023 थाना सेवर में दर्ज कराई गई। विवादित आराजी खसरा नम्बर पर रेस्पो राजेश पुत्र जवाहर सिंह व मोहनदेई पत्नी स्व0 जवाहर सिह, राजनदेई, रेखा पुत्रीयान जवाहर सिह कौम जाटव विरासतन खातेदार दर्ज हैं। अनुसूचित

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाति के सदस्यों की खातेदारी आराजी पर अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा अतिकमण किया हुआ है। अपील अपीलान्टान खारिज की जावे तथा रेस्पो0 की खातेदारी पर अपीलान्टान द्वारा किया गया नाजायज कब्जा अतिकमण को हटवाया जाकर अप्रार्थी(रेस्पो0) राजेश कुमार को कब्जा दिलाया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित आराजी का आंबटन विधिवत किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 174, आरआरडी 1977 पेज 676, आरआरडी 1996 पेज 673, उद्धरत किये तथा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावलीयों का गहन अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। तथा योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। तहत न्यायालयों की पत्रावलीयों में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। उपखड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.4.23 पर गौर किया गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित साविक आराजी खसरा नम्बर 566/14–7 ग्रांम बंजी गैर मुमकिन रास्ता है जिसका आंबटन नही किया जा सकता है। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की किस्म परिवर्तन कर आबंटन किया गया है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की परिभाषा में आती है ऐसी भुमियों का आंबटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता का आंबटन विधि विरुद्ध किया गया है अतः आबंटन आदेश दिनांक 26–11–1976 काबिल निरस्त योग्य रहता है।

तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–2023 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट/रेस्पो के खिलाफ आर.टी.एक्ट की धारा 183बी के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलान्टान/प्रार्थीगण को अतिक्रमण से बेदखल करने के आदेश

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिये हैं। तहसीलदार भरतपुर ने उक्त आदेश आंबटन के खिलाफ प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णायाधीन रखते हुये पारित किया गया था। चूँकि प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आंबटन आदेश दिनांक 26–11–1976 को निरस्त हो जाने से तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.4.2023 प्रभावहीन होने काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 14(4) संख्या 01 / 2018 स्वीकार किया जाता है उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आंबटन आदेश दिनांक 26–11–1976 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट नं. 16 / 2023 स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.2023 खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत आंबटन उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को एवं तहसीलदार भरतपुर की तहत फाईल वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 5–7–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर